भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2040
जिसका उत्तर गुरुवार, 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी पेशे में सुगम्यता

2040 श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विधि विद्यालयों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्होंने हर वर्ष प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की सूची के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को सूचना प्रदान की है ;

(ख) विधि विद्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए बीसीआई द्वारा विगत तीन वर्षों में क्या पहल, यदि कोई हो, की गई है ; और

(ग) क्या बीसीआई के पास निःशक्त अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 21 के तहत अपेक्षित समान अवसर नीति है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) के पास प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले दिव्यांगजन व्यक्तियों की सूची के संबंध में कोई विशिष्ट डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों में, भारतीय विधिज्ञ परिषद ने विधि विद्यालयों में दिव्यांगजन के लिए सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। बीसीआई का आदेश है कि अपने विधि कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन चाहने वाले सभी संस्थानों को सुगम्यता मानकों का अनुपालन प्रदर्शित करना चाहिए। इसमें शारीरिक रूप से दिव्यांगजन छात्रों के लिए रैंप, लिफ्ट और अन्य सुविधाओं की स्थापना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, विधि विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि दृष्टिबाधित छात्र अपने पाठ्यक्रमों में पूरी तरह से भाग ले सकें, ब्रेल पुस्तकों और डिजिटल संसाधनों जैसी सुगम्य शिक्षण सामग्री प्रदान करने की अपेक्षा होती है ।

बीसीआई आवधिक निरीक्षण और फीडबैक तंत्र के माध्यम से अनुपालन की निगरानी भी करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधिक शिक्षा संस्थान दिव्यांगजन छात्रों के लिए अपनी प्रसुविधाओं और सेवाओं में निरंतर सुधार कर रहे हैं। ये उपाय एक समावेशी शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए तैयार किए गए हैं जो सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं का समर्थन करता है।

इसके सिवाय, भारतीय विधिज्ञ परिषद ने विधिक शिक्षा के सभी केंद्रों से अनुरोध किया है और निदेश दिया है कि वे भौतिक अवसंरचना, शैक्षणिक अवसंरचना और नि:शक्त छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों

की प्रभावी भागीदारी के लिए अपेक्षित अन्य सुविधाओं के संदर्भ में उपयुक्त सुविधाओं से लैस करने के लिए उपबंध करें, जैसे कि रैंप का निर्माण, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रवण संकेतों के साथ लिफ्ट या लिफ्ट की स्थापना, और कॉलेज को विशेष रूप से विधि के छात्रों के लिए नि:शक्त छात्रों के लिए सुलभ बनाने के लिए ब्रेल प्रतीकों को सम्मिलित करना।

(ग) : समान अवसर नीति के संबंध में, भारतीय विधिज्ञ परिषद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 21 के अधीन अपेक्षित दिव्यांगजन सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ काम करती है। बीसीआई का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि विधिक शिक्षा और वृत्ति में कोई अंतर व्यवहार न हो।

भारतीय विधिज्ञ परिषद विधिक पेशे के भीतर पहुंच और समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है । परीक्षाओं में अपने विनियामक ढांचे, निगरानी प्रथाओं और परीक्षाओं में विशिष्ट समायोजन के माध्यम से, बीसीआई विधिक शिक्षा और व्यापक विधिक क्षेत्र में दिव्यांगजन को सम्मिलित करने का समर्थन और सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है।

****